

FORM NO-III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर

महेन्द्र प्रताप सिंह बनाम निर्मला देवी

किस्म मुकदमा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर- 81 वर्ष:-2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2025	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा- 53, 188 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26-12-25 को पेश हो।	
26-12-25	<p>वादी पक्ष द्वारा पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रति. सं. 6, 7 के P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। सम्मन तामील- अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-1-26 को पेश हो। सि 5 के सम्मन अदम तामील प्राप्त है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी रुपनगढ (अजमेर)</p>
21-1-26	<p>वादी पक्ष द्वारा पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-3-26 को पेश हो।</p>	
17-3-26	<p>वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 C.P.C. वास्ते पत्रावली में शीघ्र सुनवाई कर विद्ने करने काबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने पहचान-स्वल्प आधार कार्ड सं. 53774/25 1637 की स्व-हस्तासहित प्री पेश की। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार अक्त राजस्व वाद फर् में वादी मागे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, इसलिये यह प्रार्थना-पत्र पेश कर विद्ने करना चाहता है।</p>	<p>May handed over.</p>

मु.न. 81/25 महेन्दु प्रताप सिंह । निर्मलादेवी

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र पर वादी को  
सुना गया। तदनुसार वादी का वाद जरिये

विद्रोह खारिज किया जाता है

परावली फैसल मुसार होकर नम्बर

से कम हो।

का  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)